राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1969 / 2025

रोहतान सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, वैर, जिला भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 06.02.2025
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17.12.2024 निलम्बन आदेश को चुनौती दी है। जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (2) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अवैध तरीके से बिना सोचे–समझे अपीलार्थी को निलम्बन कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य (निलम्बाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहानपुर वैर, भरतपुर में कार्यरत है। वर्तमान में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, के कार्यालय में कार्यरत है। अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों एवं भाइयों के बीच कुछ पारिवारिक विवाद के कारण अपीलार्थी और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ बार–बार एफआईआर दर्ज की गई। वर्ष 2014 में अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं था। जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा एफआर को स्वीकार कर लिया गया था (अनुलग्नक–2)। वर्ष 2018 में एक ओर एफआईआर दर्ज की गई एवं वर्ष 2020 में अपीलार्थी सहित अपीलार्थी के भाइयों के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई (अनुलग्नक–3 व 4)। पूर्वव्यापी तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर संख्या

212/2022 दर्ज की गई (अनुलग्नक–5)। उक्त प्रकरण के दो वर्ष पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 26.11.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 03.12.2024 तक पुलिस हिरासत में रखा गया। उसके बाद अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 05.12.2024 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। जहां पर अपीलार्थी ने 05.12.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। लेकिन कार्यभार ग्रहण करने 12 दिवस पश्चात् दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को 26.11.2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया तथा अपीलार्थी का मुख्यालय बीकानेर निर्धारित किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को उसके किसी पदीय कार्य के कारण निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि केवल परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के आधार पर निलम्बित किया गया था। अपीलार्थी को गलत तरीके से उक्त मामले में शामिल किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के खिलाफ आज तक कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में चालान पेश किया गया है। अपीलार्थी के खिलाफ पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी निलम्बन आदेश पूरी तरह से अवैध एवं अनुचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को समस्त परिलाभों सहित प्रधानाचार्य के पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी कार्मिक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (2) के अनुसरण में आपराधिक प्रकरण में 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 17.12.2024 के द्वारा निलम्बित किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 नियम–13 (2) के अनुसार यदि कोई लोकसेवक 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक से स्वतः ही निलम्बित (deemed to have been suspended with effect from the date of detention) माना जावेगा तथा नियम–13 (1) में वर्णित प्राधिकारी के आदेशानुसार आगामी आदेशों तक निलम्बित रहेगा। (shall remain under suspension until further orders.)। अपीलार्थी कार्मिक प्रधानाचार्य के जिम्मेदार पद पर कार्यरत रहा है तथा अपीलार्थी कार्मिक से यह अपेक्षित था कि वह स्वयं की गिरफ्तारी की सम्यक सूनचा उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करता तथा गिरफ्तारी

उपरान्त नियुक्ति अधिकारी के आदेशानुसार कार्यग्रहण करता परन्तु अपीलार्थी कार्मिक द्वारा गिरफ्तारी की सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय में कार्यग्रहण किया गया एवं कार्यग्रहण उपरान्त गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की गई जो स्वतः स्पष्ट करती है कि अपीलार्थी कार्मिक नियम विरूद्ध कार्य करने का आदि है। अपीलार्थी के विरूद्ध संस्थित फौजदारी विवाद में सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन पूर्णतया भ्रामक है कि अपीलार्थी को गलत रूप से उक्त प्रकरण में सम्मिलित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके है (अनुलग्नक–आर/4) तथा अपीलार्थी कार्मिक के संदर्भ में विभागीय जांच कार्यवाही भी प्रारंभ की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के विरूद्ध जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग का कथन किया कि अपीलार्थी को सीसीए नियम–1958 के नियम 13 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया एवं अपीलार्थी ने जमानत पर रिहा होने के बाद प्रत्यर्थी विभाग को सूचित नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि जब वह जमानत पर रिहा हुआ था, तब अपीलार्थी ने दिनांक 05.12.2024 को ज्वॉईनिंग प्रस्तुत करने हेतु सीबीईओ को दूरभाष पर सूचित कर दिया गया था की ..26.11.2024 से दिनांक 04.12.2024 तक न्यायिक हिरासत में था और इसे उसी दिन 05.12.2024 को सीबीईओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को ज्वॉईनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थी के विरूद्ध पंजीकृत सिविल प्रकरण 39/2024 का निस्तारण दिनांक 04.03.2025 (अनुलग्नक–8) किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 के द्वारा कहा गया है कि निलम्बन एक गंभीर मामला है और किसी को भी बिना किसी आधार के लगातार निलम्बित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये तर्कों को नियमानुसार नहीं मानते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य (निलम्बाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहानपुर वैर, भरतपुर में कार्यरत है। वर्तमान में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, के कार्यालय में कार्यरत है। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के विरूद्ध

पारिवारिक झगड़े के कारण एफआईआर संख्या 212/2022 दिनांक 01.04.2022 को भुसावर थाना, भरतपुर में दर्ज की गई। उक्त प्रकरण के दो वर्ष पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 26.11.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 04.12.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तथा 04.12.2024 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 05.12.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने 12 दिवस पश्चात् दिनांक 17.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को 26.11.2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया तथा अपीलार्थी का मुख्यालय बीकानेर निर्धारित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (2) का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र भी जारी किये गये। आपराधिक प्रकरण में आज दिनांक तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है। हमारे विनम्र मत में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 में यह उल्लेखित किया गया है कि '' पुनरावलोकन समिति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता अभियोजन/ अनुंसधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में गुणावगुण पर विचार कर लोक सेवक के निलम्बन को समाप्त करने अथवा यथावत रखने बाबत् अपनी अभिशंषा करेगी। आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से संबंधित उक्त समिति के समक्ष रखे जाने योग्य मामलों में यदि अनुसंधान एजेंसी द्वारा 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अनुसंधान पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में चालान अथवा प्राधिकारिता को अभियोजन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है तो ऐसे निलम्बित लोक सेवक के प्रकरण को भी बहाली हेतु पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जावे। ''

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा राज्य सरकार के परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय ले एवं अपीलार्थी को सूचित करें।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)